न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री भीण्डेश्वर महादेव जी स्थान बनाम विपक्षी :– श्री माधवलाल
किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. पत्रावली संख्या : 62 / 23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 08.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 मय विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित। आवाजें दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10, 141 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर आपत्ति जताई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थनागस्त भूमि वर्तमान में श्री भीण्डेश्वर महादेव जी स्थान देह के नाम खातेदारी से अंकित हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन विवाद बना रहता हैं जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में सशर्त पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2052–55 की आराजी नं 1067 / 1 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नं 1067 / 2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नं 1070 रकबा 7 बिस्वा भूमि की भू– प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:17:53 IST
Reason: SelfAttested